संख्या-3/2025/85/2025/1704211/12-2002(002)/1/2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग - 2 लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2025

विषय:- वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103 बीज-06, उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या: मिलेट्स-899/वि0स्वी0/ 2024-25 दिनांक 20 जनवरी, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103 बीज-06, उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष **रूपये 1758.40 लाख (रूपये सत्रह करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(8) यह स्वीकृत कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार य अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(9) कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(10) निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-07/2023/172/12-2-2023-04/2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(14) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001030600 (उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम)

क्र०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	14,74,65,000 (रुपये चौदह करोड़ चौहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र)
5	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,58,75,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठावन लाख पचहत्तर हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		कार्यक्रम		मात्र)
6	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	011	2401001030600 उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**17,58,40,000 (रुपये सत्रह करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

ओम प्रकाश वर्मा

विशेष सचिव।

संख्या:3(1)/2025/85/2025/1704211/12-2002(002)/1/2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

गुन्जन दुबे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।